UPPB010023682026

न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत

पीठासीन अधिकारीः रविन्द्र कुमार–चतुर्थ, एच0जे0एस0–UPID2014

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–916/2026

आफिया खान पत्नी शान मोहम्मद, निवासी–मोहल्ला खावेज ज्ञान, जामुन वाली गली, थाना–खुर्जा, जिला–बुलन्दशहर।

......आवेदिका/अभियुक्ता

बनाम

उ0प्र0 सरकार ...... अभियोगी

मुकदमा अपराध संख्या–60/2026,
अन्तर्गत धारा–316(5), 338, 336(3), 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता,
थाना–कोतवाली, जनपद–पीलीभीत।

दिनांकः 04.06.2026

1. यह नियमित जमानत प्रार्थनापत्र आवेदिका/अभियुक्ता आफिया खान की ओर से उपरोक्त मुकदमा अपराध, दिनांकित–14.02.2026, के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि दिनांक–14.02.2026 को वादी मुकदमा राजीव कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत के द्वारा थाना–कोतवाली, पीलीभीत पर इस आशय की तहरीर दी गई है कि इल्हाम उर्र रहमान शम्शी जो कि जनता टेक्निकल इण्टर कालेज बीसलपुर, पीलीभीत में कार्यरत है तथा विगत वर्षों से इसके द्वारा कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत में वेतन, बिल, टोकन जनरेशन आदि का कार्य देखा जा रहा था, ने अपनी पत्नी श्रीमती अर्शी खातून के साथ मिलकर कूटरचना कर एवं कपटपूर्ण तरीके से वेतन मद से दिनांक–12.09.2024 से कुल 98 ट्रांजेक्शन के द्वारा 1,01,95,135.00/–(एक करोड़ एक लाख पिच्चानवें हजार एक सौ पैंतीस) रूपये की धनराशि अपनी पत्नी अर्शी खातून के खाते में हस्तांतरित करके सरकारी धन का गबन किया गया है।

3. आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कहा गया है कि उपरोक्त वाद में उसको झूठा फंसाया गया है। उसके बैंक खाते में ट्रान्जेक्शन करने की उसको कोई जानकारी नहीं थी। वह जिला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत कार्यालय में कार्यरत नहीं है। वह प्राथमिकी में नामजद नहीं है। उसके द्वारा कथित अपराध कारित नहीं किया गया है। घटना भ्रामक एवं मनगढन्त तथ्यों पर आधारित है। इस मामले का मुख्य–अभियुक्त इल्हाम उर्र रहमान शम्शी, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित–28.03.2026 से अंतरिम अग्रिम जमानत पर है। सह–अभियुक्ता अर्शी खातून की जमानत एवं अजारा खान की जमानत माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक–01.05.2026 से जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध है। अतः आवेदिका/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी।

4. राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी ने जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा मुख्य अभियुक्त इल्हाम उर्र

Digitally signed by RAVINDRA KUMAR
Date: 2026.06.04 17:01:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

रहमान शम्शी के साथ मिलकर जिला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत के खाते से कूटरचना कर एवं कपटपूर्ण तरीके से सरकारी वेतन मद से 80,68,696/–(अस्सी लाख अड़सठ हजार छः सौ छियानवे) रूपये की धनराशि आवेदिका/अभियुक्ता के खाते में हस्तांतरित कराके सरकारी धन का गबन कर आपराधिक न्यासभंग किया गया है। उसके द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना–पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5. आवेदिका/अभियुक्ता के जमानत प्रार्थनापत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया ।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका/अभियुक्ता प्राथमिकी में नामजद अभियुक्ता नहीं है, जांच के दौरान उसके नाम का खुलासा हुआ है। आवेदिका/अभियुक्ता के जिस बैंक खाते में मु0–80,68,696/–(अस्सी लाख अड़सठ हजार छः सौ छियानवे) रूपये हस्तांतरित होना कहा गया है उसमें से कुछ रकम वर्तमान में सीज/फ्रीज है। मामले की सह–अभियुक्ता अर्शी खातून एवं अजारा खान की जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। वर्तमान अभियुक्ता जो एक महिला है का मामला भी नियमित जमानत पायी सह–अभियुक्तागण से अलग नहीं है। इस मामले में मुख्य–अभियुक्त (Main Perpetrator) इल्हाम उर्फ रहमान शम्शी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित–28.03.2026 से अंतरिम/अग्रिम जमानत प्राप्त कर चुका है लिहाजा इस प्रकरण में इस अदालत के पास वर्तमान आवेदिका/अभियुक्ता को भी जमानत देने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है, जो न्यायिक अनुशासन के अनूरूप भी होगा। आवेदिका/अभियुक्ता प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक–01.05.2026 से जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध है। अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं मामले के गुण–दोष पर कोई विचार व्यक्त किये बिना इस न्यायालय की राय में आवेदिका/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका/अभियुक्ता आफिया खान का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। उसके द्वारा अंकन–1,00,000/–(एक लाख) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभूगण सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि अनुसार दाखिल करने पर उसको निम्न शर्तानुसार जमानत पर रिहा किया जाए–

1. वह विवेचना/विचारण में पूर्ण सहयोग करेगी।
2. वह आरोप तथा धारा 351 भा0ना0सु0सं0 के बयान जैसी सारवान तिथि पर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगी।
3. वह किसी साक्षी को प्रलोभित तथा प्रकोपित नहीं करेगी।
4. वह जब भी अपना अस्थाई व स्थाई पता परिवर्तित करेगी, तो इसकी सूचना न्यायालय को देगी।

दिनांकः 04.06.2026

(रविन्द्र कुमार–चतुर्थ)
UPID2014
सत्र न्यायाधीश,
पीलीभीत